

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(स्टैंडअलोन) - समझौता ज्ञापन 2021-22

क्र.सं.	पैरामीटर का नाम	यूनिट	अधिभार	(2020-21) हेतु अनुमान	अब तक का सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन	लक्ष्य 2021-22
1	प्रचालनों से राजस्व	करोड़ रुपए में	5			40320
2	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5			10.41
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	%	10			31.98
4	निवल मूल्य पर रिटर्न	%	10			16.83
5	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	5			10.52
6	बाजार पूंजीकरण - बीएसई वित्त सूचकांक पर शेयर की कीमतों में सुधार	%	15			7.50
7	कुल उपलब्ध निधियों में से संवितरित ऋण	%	20			99.71
8	कुल ऋणों में से अतिदेय ऋण	%	10			0.61
9	कुल ऋण में से एनपीए	%	10			1.83
10	समान रेटिंग वाली सीपीएसई/एंटिटियों की तुलना में बाण्ड्स के माध्यम से निधि जुटाने की लागत (रॉउटर्स पर मार्जिन)	बीपीएस	10			-16.42
	जोड़		100			

टिप्पणियां:

- लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित हैं।
- बेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दिए गए दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाता है।
- कुल उपलब्ध निधियों में से संवितरित ऋण, कुल ऋणों में से अतिदेय ऋण, कुल ऋणों में से एनपीए और निधि जुटाने की लागत के पैरामीटरों की प्राप्ति की पुष्टि सीपीएसई की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर की जानी है।
- 50% से 100% लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आनुपातिक अंक।
- 50.00% से कम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई अंक नहीं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य प्राप्तियों की गणना में, सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों की गणना की गई आपत्तियों को राजस्व/लाभ/अधिशेष को अधिक बताए जाने अथवा हानि/घाटे को कम बताए जाने के मामले में समायोजित किया जाना है।

2021-22 के लिए अनुपालन संबंधी पैरामीटर

क्र.सं.	पैरामीटर	अंक	स्रोत/सत्यापन
1	कुल खरीद का 25% जेम पोर्टल से: (जेम के अनुसार वर्ष के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद)/(संबंध पोर्टल के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद)*100	-2	जेम पोर्टल एवं संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
2	चयनित मामलों पर डीपीई के दिशा-निर्देश i) वेतन संशोधन संबंधी दिशा-निर्देश एवं वेतन संशोधन के लिए सीपीएसई की लाभप्रदता की समीक्षा ii) व्यय प्रबंधन आर्थिक उपाय एवं व्यय का युक्तिकरण iii) सुगम्य भारत अभियान पर दिशा-निर्देश (सुगम्य भारत अभियान) iv) शिक्षता अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश v) सीपीएसई(यों) द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश।	-2	सीएजी रिपोर्टों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय।
3	कंपनी अधिनियम, 2013 (अथवा सूचीबद्ध एंटीटियों के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम) में निगमित अभिशासन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन जैसे कि: (i) निदेशक मंडल का गठन (ii) निदेशक मंडल समितियां (लेखापरीक्षा समिति आदि) (iii) निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन (iv) संबंधित पक्षकार लेन-देन (v) प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता	-3	सीएजी/सांविधिक/सचिवालय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट(ओं) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4	दीपम/नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य: (i) लाभांश का भुगतान (ii) परिसंपत्ति मुद्रीकरण संबंधी माइलस्टोन (iii) विशिष्ट विनिवेश संबंधी माइलस्टोन	-2	दीपम/नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद और समय पर भुगतान (संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान 25% एमएसई(यों) के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद जिसमें एससी/एसटी एमएसई(यों) से 4% एवं महिला एमएसई(यों) से 3% शामिल है)/ (संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद)	-2	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6	सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम एवं पहल (लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाना है)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पुष्टि

ह/-
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ह/-
सचिव, विद्युत मंत्रालय

दिनांक: 09.03.2022